

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2358
उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना

†2358. श्री बी. के. पार्थसारथी:

श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कयर उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना के अंतर्गत उन्नयन और आधुनिकीकरण के लिए संयंत्र और मशीनरी की खरीद के लिए सहायता प्रदत्त इकाइयों की कुल संख्या और ऐसी इकाइयों को संवितरित की गई निधि का राज्यवार और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) कौशल उन्नयन घटक और विशेष रूप से महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत आज की तिथि तक प्रशिक्षित लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कौशल उन्नयन घटक के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों के लिए जारी की गई वृत्तिका का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) जैसी कल्याणकारी योजना के अंतर्गत कवर किए गए कयर कामगारों की कुल संख्या के बारे में कोई डेटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सीआईटीयूएस स्कीम को पूर्ण रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सका तथा किसी भी इकाई को इस स्कीम के अंतर्गत सहायता नहीं दी गई, क्योंकि उन्हें इस मंत्रालय की तत्कालीन विद्यमान समान स्कीमों अर्थात् ऋण संबद्ध कैपेसिटी सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) तथा स्पेशल ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

(ख) एवं (ग): वर्ष 2014-15 से 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक) की अवधि के दौरान कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या तथा जारी किए गए वजीफे का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-1 पर है।

(घ): उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019-20 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत कयर बोर्ड ने लगभग 46518 कयर श्रमिकों को नामांकित किया है। वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

- 2016-17 - 16139 कामगार
- 2017-18 - 8175 कामगार
- 2018-19 - 20320 कामगार
- 2019-20 - 1884 कामगार

दिनांक 13.3.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2358 के भाग (ख) और (ग) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध-I

वर्ष 2014-15 से 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक) की अवधि के दौरान कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या और जारी किए गए वजीफे का विवरण:

वर्ष	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	एमसीए के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)
2014-15	20648	8868	3,09,72,000
2015-16	6819	3581	1,36,38,000
2016-17	4779	2255	95,58,000
2017-18	2481	1209	49,62,000
2018-19	4153	2195	2,49,18,000
2019-20	4325	2075	2,59,50,000
2020-21	7145	3591	4,28,70,000
2021-22	4755	2331	2,85,30,000
2022-23	2794	1301	1,67,64,000
2023-24	4193	1963	2,51,58,000
2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक)	1965	930	1,17,90,000

अनुबंध-1

दिनांक 13.3.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2358 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-1

वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या और जारी किए गए वजीफे का ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15			2015-16			2016-17		
		प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
1	कर्नाटक	3499	5248500	1499	700	1400000	340	120	240000	60
2	गोवा	0	0	0	0	0	0	40	80000	20
3	आंध्र प्रदेश	626	939000	200	236	472000	40	400	800000	140
4	तेलंगाना							40	80000	0
5	पूर्वोत्तर	2560	3840000	1180	579	1158000	308	744	1488000	349
6	केरल	4452	6678000	2011	2080	4160000	1212	1019	2038000	540
7	लक्षद्वीप	512	768000	311	280	560000	180	220	440000	80
8	पश्चिम बंगाल	4160	6240000	1860	537	1074000	200	417	834000	217
9	महाराष्ट्र	220	330000	100	400	800000	220	440	880000	260
10	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	75	112500	30	120	240000	0	200	400000	40
11	गुजरात	860	1290000	320	160	320000	120	40	80000	20
12	तमिलनाडु	1858	2787000	583	998	1996000	485	742	1484000	350
13	ओडिशा	1719	2578500	720	697	1394000	460	357	714000	179
14	पांडिचेरी	107	160500	54	32	64000	16	0	0	0
	कुल	20648	30972000	8868	6819	13638000	3581	4779	9558000	2255

जारी..

वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या और जारी किए गए वजीफे का विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			वर्ष 2019-20		
		प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
		180	360000	80	220	1320000	120	240	1440000	140
1	कर्नाटक	0	0	0	120	720000	60	20	120000	0
2	गोवा	120	240000	60	200	1200000	100	380	2280000	200
3	आंध्र प्रदेश	40	80000	20	80	480000	20	200	1200000	100
4	तेलंगाना	500	1000000	267	875	5250000	438	799	4794000	400
5	पूर्वोत्तर	496	992000	236	772	4632000	465	833	4998000	373
6	केरल	70	140000	20	140	840000	60	178	1068000	100
7	लक्षद्वीप	80	160000	40	293	1758000	236	232	1392000	116
8	पश्चिम बंगाल	160	320000	80	297	1782000	140	300	1800000	180
9	महाराष्ट्र	180	360000	90	156	936000	76	197	1182000	98
10	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	40	80000	20	160	960000	80	120	720000	40
11	गुजरात	436	872000	196	598	3588000	287	527	3162000	190
12	तमिलनाडु	179	358000	100	242	1452000	113	299	1794000	138
13	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	पुदुचेरी	2481	4962000	1209	4153	24918000	2195	4325	25950000	2075

वर्ष 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या और जारी किए गए वजीफे का विवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23		
		प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
1	कर्नाटक	400	2400000	200	220	1320000	100	160	960000	80
2	गोवा	0	0	0	0	0	0	40	240000	20
3	आंध्र प्रदेश	483	2898000	240	418	2508000	198	166	996000	79
4	तेलंगाना	240	1440000	120	160	960000	80	40	240000	20
5	पूर्वोत्तर	1057	6342000	580	600	3600000	320	280	1680000	140
6	केरल	1777	10662000	895	1164	6984000	619	429	2574000	170
7	लक्षद्वीप	200	1200000	60	60	360000	0	0	0	0
8	पश्चिम बंगाल	299	1794000	156	196	1176000	98	200	1200000	100
9	महाराष्ट्र	600	3600000	300	520	3120000	260	379	2274000	179
10	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	320	1920000	160	200	1200000	100	160	960000	80
11	गुजरात	320	1920000	160	120	720000	100	120	720000	60
12	तमिलनाडु	1040	6240000	520	632	3792000	299	418	2508000	200
13	ओडिशा	409	2454000	200	405	2430000	157	402	2412000	173
14	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	7145	42870000	3591	4755	28530000	2331	2794	16764000	1301

जारी..

वर्ष 2023-24 से 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 तक) की अवधि के दौरान कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या और जारी किए गए वजीफे का विवरण।

वर्ष 2023-24			2024-25 (28 फरवरी '25 तक की स्थिति के अनुसार)		
प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या (एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं सहित)	जारी किया गया वजीफा (वास्तविक राशि रु. में)	एमसीवाई के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या
200	1200000	100	80	480000	40
80	480000	40	0	0	0
273	1638000	119	126	756000	60
120	720000	60	40	240000	20
436	2616000	216	159	954000	80
893	5358000	410	465	2790000	215
120	720000	60	120	720000	60
160	960000	80	120	720000	60
416	2496000	200	140	840000	60
120	720000	60	40	240000	40
160	960000	80	0	0	0
765	4590000	338	442	2652000	195
450	2700000	200	233	1398000	100
0	0	0	0	0	0
4193	25158000	1963	1965	11790000	930